न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 231/05 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2005/00130

उनवान

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र केशवदेव जाति स्वर्णकार निवासी कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र केशवदेव (मृतक)
   1/1. विनोदकुमार उम्र 52 वर्ष पुत्र
   1/2. हेमलता उम्र 45 वर्ष
   } नरेन्द्र सिंह जाति स्वर्णकार निवसी गुदडी मौहल्ला कुम्हेर
   1/3. शकुन्तला उम्र 65 वर्ष पत्नी स्व0 नरेन्द्र सिंह जाति स्वर्णकार निवासी गुदडी मौहल्ला कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. महेन्द्र सिंह (मृतक)
   2/1. अशोक कुमार पुत्र स्वी0 महेन्द्र सिंह
   2/2. राजेश्वरी देवी पुत्री महेन्द्र सिंह
   } जाति स्वर्णकार निवासी गुदडी मौहल्ला कुम्हेर।
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र केशवदेव (मृतक)
   3/1. उमेश उम्र 45 वर्ष
   3/2. राजकुमार उर्फ भोले उम्र 43 वर्ष
   3/3. राजू उर्फ छोटे उम्र 41 वर्ष
   } पुत्रान स्व0 सुरेन्द्र सिंह जाति स्वर्णकार निवासी कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर।
   3/4. आकांक्षा उम्र 26 वर्ष पुत्री पवन पौत्री सुरेन्द्र सिंह
   3/5. गरिमा उम्र 22 वर्ष
   3/6. सेजल उम्र 20 वर्ष
   } पुत्री पवन पौत्री सुरेन्द्र सिंह
   3/7. मानव उम्र 24 वर्ष पुत्र पवन पौत्र सुरेन्द्र सिंह
   3/8. सीमा पत्नी पवन
   जाति स्वर्णकार निवासी कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
   3/9. राजेश उम्र 50 वर्ष
   3/10. नीता उम्र 40 वर्ष
   3/11. मीनाक्षी उम्र 38 वर्ष
   } पुत्री सुरेन्द्र सिंह जाति स्वर्णकार निवासी कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
4. देवेन्द्र सिंह पुत्र केशवदेव (मृतक)
   4/1. राजेन्द्र सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह जाति स्वर्णकार निवासी कस्बा कुम्हेर।
   4/2. माया
   4/3. गीता
   4/4. ममता
   } पुत्री देवेन्द्र सिंह जाति स्वर्णकार निवासी गुदडी मौहल्ला कुम्हेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र केशवदेव जाति स्वर्णकार निवासी करवा कुम्हेर।
6. गंगादान } पिसरान पीताम्बर जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी सिकरोरी तहसील कुम्हेर।
7. जगराम }
8. राधे पुत्र सांमल जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी सिकरोरी तहसील कुम्हेर।
9. मुस0 भगवती वेवा शिवचरन जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी सिकरोरी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
10. फत्तेराम } पुत्रान शिवचरन जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी सिकरोरी तहसील कुम्हेर।
11. रामजीलाल }
12. रामजीलाल पुत्र सुल्तान जाति मीना निवासी रामनगर तहसील कुम्हेर।
13. सामन्ता पुत्र पूरना जाति जाटव निवासी पीढी तहसील कुम्हेर (मृतक)
    - 13/1. नत्थोली
    - 13/2. गॅूगा
    - 13/3. घुर्रू
    - 13/4. ताला

    } पिसरान सामन्ता जाति जाटव निवासी पीढी तहसील कुम्हेर।
    - 13/5. श्यामा (मृतक)

14. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सरमनलाल (मृतक)
    - 14/1. छैलबिहारी पुत्र सुरेन्द्र सिंह
    - 14/2. सतीश पुत्र सुरेन्द्र सिंह
    - 14/3. कृष्णा पुत्री सुरेन्द्र सिंह
15. वीरेन्द्र सिंह पुत्र सरमनलाल (मृतक)
    - 15/1. हेमन्त
    - 15/2. बसन्त
    - 15/3. सुमन्त
    - 15/4. ओमप्रकाश

    } पुत्रान वीरेन्द्र सिंह
    - 15/5. मीरा पुत्री वीरेन्द्र सिंह

    जाति कलवार निवासी डीग रोड सरकारी अस्पताल के सामने कुम्हेर जिला भरतपुर।
16. सोहनलाल पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी रामनगर तहसील कुम्हेर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर दि0 20.09.2005 मि.नं. 249/02 उनवानी नरेन्द्र सिंह बनाम वीरेन्द्र सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक–22.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2005 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी के पिता केशवदेव की खातेदारी की आराजी है। केशवदेव की मृत्यु पश्चात् विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी के मध्य वहिस्सा बराबर विरासतन खातेदार हो गये। खाता संख्या 53 में वादी/रैस्पो0 1/6 हिस्से का तथा खाता संख्या 54 में 1/6 हिस्से का सहखातेदार है। वादी एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर सम्मिलित रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु वादी का भाई वीरेन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत करते हैं व काश्त नहीं करने देते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार, बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कर पृथक खाता कायम करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से डिक्री करते हुये, प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले मंसूखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में सभी सहखातेदारो का बॅटवारा नहीं किया। तरतीवी प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 16 भी विवादित आराजी में सहखातेदार थे। परन्तु उनका बॅटवारा नहीं किया। विवादित आराजी का पूर्व में केशवदेव के छः पुत्रो के मध्य बॅटवारा हो चुका था। उक्त बॅटवारा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है। कुछ सम्पत्ति एक पुत्र धर्मेन्द्र के नाम भी है। मकान, दुकान, कृषि भूमि सभी का बॅटवारा हो चुका है। जब एक बार बॅटवारा हो गया तो, दुबारा कैसे हो सकता है। आराजी की पहचान भी बॅटवारेनामा में स्पष्ट अंकित है एवं सभी के हस्ताक्षर हो रहे हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय को बॅटवारेनामा के आधार पर ही निर्णय पारित करना चाहिये था। बॅटवारानामा है तो तहसीलदार की अनुमति आवश्यक नहीं है। सभी सहखातेदारान बॅटवारानामा के आधार पर मौके पर काबिज हैं। नोटेरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पब्लिक हो रखा है। रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। पिता को अपनी सम्पत्ति के बॅटवारे का पूर्ण अधिकार है एवं हस्तगत प्रकरण में पिता के सामने, न्यायालय के बाहर बॅटवारा हो चुका है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1985 पेज 694, आरबीजे 2022 पेज 679 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पों0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नही है। अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी सहखातेदारो की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तलव किये हैं। कथित बॅटवारानामा 6 रूपये के स्टाम्प पर है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। केवल नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है एवं उसमें विवादित आराजी के खसरा नम्बर अंकित नहीं है। अपीलाण्ट तनकी संख्या 05 में पूर्व में बॅटवारा साबित नहीं कर पाये हैं। पारिवारिक बॅटवारा बिना भूमिधारक की अनुमति/सहमति के कानून की नजर में अवैध है। अतः पारिवारिक बॅटवारा का कोई महत्व नहीं है। यदि उक्त कथित बॅटवारानामा के आधार पर अपीलाण्ट कुछ चाहता है तो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। बॅटवारा रजिस्टर्ड होना चाहिये, तहसीलदार से अथवा न्यायालय से। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील ही पोषणीय नहीं है। बॅटवारानामा के आधार पर उन्हें सिविल कोर्ट में जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी को सहखातेदार मानकर प्राथमिक डिक्री जारी की है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील में कोई बल नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1990 पेज 548, 549, 1994 पेज 569 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट का हस्तगत अपील में प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि विवादित आराजी का पूर्व में पारिवारिक बॅटवारानामा हो चुका है, जो स्टाम्प पर हैं एवं नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है तथा उस पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय को उक्त बॅटवारानामा के आधार पर ही प्राथमिक डिक्री पारित करनी चाहिये थी। हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया एवं कथित बॅटवारानामा का अवलोकन किया। बॅटवारानामा को सिद्ध करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकी संख्या 05 कायम की गयी है। जिसको साबित करने का भार प्रतिवादीगण अपीलाण्ट पर था। परन्तु प्रतिवादीगण अपीलाण्ट उक्त तनकी को साबित करने मे सफल नहीं हुये हैं। इसके अलावा उक्त बॅटवारानामा में विवादित आराजी के खसरा नम्बर भी अंकित नहीं हैं एवं ना ही बॅटवारानामा रजिस्टर्ड ही है। अतः उक्त बॅटवारानामा को नियम एवं न्यायिक दृष्टान्तो के आलोक में वैध नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार कथित

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बॅटवारानामा से अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं पहुॅचता है। इसके अलावा हम यह भी उल्लेख करना उचित समझते हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में जोत के बॅटवारे के लिये आपसी समझौता, धारा 53 के प्रावधानो की पुष्टि नहीं करना कानून सम्मत नहीं है। धारा 53 में भूमि धारक की सहमति के बिना पारिवारिक समझौता अवैध व शून्य है। विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं। हस्तगत अपील प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत हुयी है। जिसमें अभी विभाजन प्रस्ताव तलव होने हैं। यदि विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट को कोई आपत्ति हो, तो वह अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति करने हेतु स्वतंत्र हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2005 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 22.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-12-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर